



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 764 राँची, शुक्रवार

1 पौष, 1945 (श०)

22 दिसम्बर, 2023 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

6 दिसम्बर, 2023

विषय:- बासुकीनाथ नगर पंचायत अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) योजना के लोक - निजी भागीदारी (Public Private Partnership Mode) की पद्धति के आधार पर कार्यान्वयन हेतु **रु० 10,515.07 लाख (रु० एक सौ पांच करोड़ पंद्रह लाख सात हजार)** मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

संख्या-SUDA/SBM/Basukinath/SWM/24/2022/UDHD-5564--74वें संविधान संशोधन की 12वीं अनुसूची के आलोक में शहरी निकायों के द्वारा नागरिकों को मौलिक एवं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर विकास एवं आवास विभाग का संवैधानिक दायित्व है । अतः नगर विकास एवं आवास विभाग राज्य के सभी शहरी नागरिकों को मौलिक/ बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्प है, जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) एक प्रमुख अवयव है ।

2. भारत सरकार द्वारा संचालित स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को एक प्रमुख घटक माना गया है। इस मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट का आधुनिक एवं वैज्ञानिक विधि से व्यवस्थापन करते हुये पूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य प्राप्त करने का उद्देश्य है।
3. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (National Green Tribunal) द्वारा भी MSW Rule, 2016 के अनुसार ठोस अपशिष्ट का आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीक द्वारा व्यवस्थापन किए जाने हेतु बल दिया जा रहा है।
4. TSP प्रक्षेत्र, बासुकीनाथ नगर पंचायत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना हेतु 4.5 एकड़ भूमि उपलब्ध होने के क्रम में लोक - निजी भागीदारी (PPP Mode) पर उक्त योजना का क्रियान्वयन हेतु DPR तैयार कराया गया है, जिसमें 20 वर्षों तक Door to door collection, transportation, segregation, waste processing तथा scientific sanitary landfilling का कार्य किये जाने का प्रस्ताव है। परियोजना लागत रु० 10,515.07 लाख (रु० एक सौ पांच करोड़ पंद्रह लाख सात हजार) मात्र है जिस पर मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग का तकनीकी अनुमोदन प्राप्त है। जिसकी विवरणी निम्न तालिका में दर्ज है :

तालिका - I

S. No.	Particular	Amount in ₹ Lakh
1	Total Project Cost (A+B+C)	10,515.07
A	Total CAPEX (I + II)	1,714.56
I.	Capital Cost (CAPEX) for SWM	1,714.56
B	Total OPEX For 20 Years (I + II)	8,594.75
I.	Income From the Project	2,780.18
II.	OPEX Cost	5,814.57
C	Others	205.76
I.	Others (DPR, PMC etc.)	205.76

5. स्वच्छ भारत मिशन -शहरी 2.0 की मार्गदर्शिका के आलोक में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बासुकीनाथ नगर पंचायत अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) योजना के CAPEX हेतु केन्द्रांश के रूप में रु० 36.02 लाख (रु० छत्तीस लाख दो हजार) स्वीकृत किया गया है तथा राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) द्वारा राज्यांश के रूप में रु० 23.77 लाख (रु० तेईस लाख सतहत्तर हजार) स्वीकृत किया गया है तथा रु० 267.93 लाख (रु० दो करोड़ सरसठ लाख तिरानवे हजार) 15th Finance एवं रु० 872.47 लाख (रु० आठ करोड़ बहत्तर लाख सैंतालीस हजार) राज्य योजना मद से लेने का प्रस्ताव है। Capex मद में PPP पार्टनर द्वारा न्यूनतम

30% राशि अर्थात् रु० 514.37 लाख (रु० पांच करोड़ चौदह लाख सैंतीस हजार) मात्र का व्यय किया जायेगा | CAPEX अंतर्गत Components wise financial break-up की विवरण निम्न तालिका में दर्ज है :

तालिका - II

**Basukinath Solid Waste Management (CAPEX) - Components
wise financial break-up**

Fund Flow for CAPEX		Total CAPEX	Central Share from SBM 2.0	Matching State Share SBM 2.0	Fund From 15th FC	PPP Share	State Grant (Under State Scheme)
1	Waste Processing Facility	695.90	21.563	14.231	7.331	208.771	444.008
2	Material Recovery Facilities (MRFs)	327.93	10.200	6.732	3.468	98.379	209.151
3	Sanitary Landfill	223.71	4.258	2.810	1.448	67.112	148.078
4	Transfer Station	63.84	0.00	0.00	0.000	19.153	44.689
5	Primary Collection Storage & Transportation	365.27	0.00	0.00	255.687	109.580	0.000
6	Monitoring Charges (IT Based)	37.91	0.00	0.00	0.000	11.374	26.539
Total		1714.56	36.02	23.77	267.934	514.369	872.466

6. स्वच्छ भारत मिशन -शहरी 2.0 अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के OPEX हेतु वित्तीय प्रावधान नहीं होने के क्रम में OPEX मद में व्यय, योजना के आय (User Charge, Product Sale आदि) की कुल आकलित राशि एवं निकायों के आंतरिक आय श्रोत से किए जाने का प्रस्ताव है | निकाय के सम्पत्ति कर संग्रह से 40% तक की राशि से OPEX मद अंतर्गत व्यय किया जायेगा | OPEX अंतर्गत व्यय निकायों के सकल सम्पत्ति कर संग्रह के 40% से अधिक होने की स्थिति में शेष राशि का वहन राज्य योजना मद द्वारा निकायों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर किया जायेगा | इस योजना की 20 वर्षों में OPEX हेतु आने वाले कुल व्यय की विवरण निम्नवत तालिका में दर्ज है :

तालिका - III

Amount in ₹ Lakh

Fund Flow for OPEX		Total	State Grant (Under State Scheme)	ULB Share	Income From Project
1	Opex for 20 Years	8594.75	5207.571	607.00	2780.18

7. योजना का वित्त पोषण SBM 2.0 अंतर्गत केन्द्रांश, राज्यांश, 15th Finance एवं राज्य योजना मद अंतर्गत सुसंगत Budget शीर्ष से तालिका - IV में अंकित विवरणी के अनुरूप किया जाएगा ।

तालिका - IV

S. No.	Particular	Amount in ₹ Lakh	Budget Head
1	Total Project Cost	10,515.07	-
2	Income from Project	2,780.18	-
3	Fund from PP Partner	514.37	-
4	Central Government Share	36.02	2217-80-796-AB-06-79
5	Corresponding State Government Share	23.77	2217-80-796-AB-06-79
6	15th FC Fund	267.93	2217-80-796-99-00-06-79
7	ULB Share *	607.00	-
8	Total State Grant (Under State Scheme)	6,285.80	2217-80-796-94-01-06-79

*ULB Share : सम्पत्ति कर संग्रहण के अनुमानित आकलन पर आधारित ।

8. इस योजना को DBOT (Design ,Built, Operate & Transfer) mode पर किए जाने का प्रस्ताव है ।
9. योजना पर कार्य PPP मोड पर करने हेतु Concessionaire का चयन निविदा द्वारा किया जाएगा । चयनित concessnaire द्वारा 20 वर्षों तक door to door waste collection, storage, transportation, processing एवं disposal का कार्य किया जाएगा । निकाय द्वारा राज्य शहरी विकास अभिकरण से अनुमोदनोपरान्त Concessionaire चयन हेतु निविदा प्रकाशित की जाएगी । निकाय द्वारा निविदा के तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन पर राज्य शहरी विकास अभिकरण अंतर्गत गठित निविदा समिति से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा ।

10. Door to door waste collection, Storage एवं Transportation हेतु संयंत्र एवं वाहनों का क्रय निकाय द्वारा जेम (GeM) पोर्टल से किया जाएगा, (GeM) पोर्टल पर अनुपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार निविदा के माध्यम से क्रय किया जाएगा, जिस पर कुल व्यय रु० 365.27 लाख (रु० तीन करोड़ पैंसठ लाख सत्ताईस हजार) संभावित है ।
11. उपर्युक्त विवरणी के परिप्रेक्ष्य में बासुकीनाथ नगर पंचायत अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) योजना के लोक - निजी भागीदारी (Public Private Partnership Mode) की पद्धति के आधार पर कार्यान्वयन हेतु **रु० 10,515.07 लाख (रु० एक सौ पांच करोड़ पंद्रह लाख सात हजार) मात्र** की योजना की स्वीकृति दी जाती है ।
12. प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल की बैठक दिनांक: 03.11.2023 को मद संख्या - 19 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है ।

झारखण्ड राज्य के राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव ।
